फाइल संख्या-22011/05/2022/केहिप्रसं/अ.वि./1307

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 31 MAY 2023

कार्यालय आदेश

यह सूचना प्राप्त हुई है कि के.हिं.प्र.सं./हिं.शि.यो. के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा निजी तौर पर व्याख्यान सेवाएँ देने/स्वयं के नाम पर अनुरोध पत्र मँगवाने और बिना कार्यालय अध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यालय समय में अन्य कार्यालयों में व्याख्यान हेतु प्रस्थान करने संबंधी आचरण प्रचलन में है।

2. उक्त निजी व्याख्यानों के फलस्वरूप के.हिं.प्र.सं./हिं.शि.यो. के कार्यालयों/कक्षाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में ह्रास/लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। साथ ही यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं सभी क्षेत्रीय उप निदेशक उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

क. के.हिं.प्र.सं./हिं.शि.यो. के सभी कार्मिकों को यह आदेश दिया जाता है कि वे सक्षम अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी अन्य कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में सहभागिता न करें।

ख. सभी क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक किसी भी कार्मिक को व्याख्यान हेतु नामित करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय अथवा कक्षाओं के संचालन में व्यावधान उत्पन्न न हो।

ग. इसी क्रम में व्याख्यान देने हेतु अन्य कार्यालयों से प्राप्त पूर्व नामित अनुरोध पत्रों पर नामन संबंधी कार्रवाई करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि कक्षाओं का संचालन बाधित न हो और किसी भी कार्मिक के नामन पर कार्यालय हित में विवेकपूर्ण निर्णय लें।

रामनरेश शर्मा

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)

निदेशक

अनुपालनार्थ :-1.सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/कार्यालय प्रमुख/कार्यालय प्रभारी